प्रेस नोट-

थाना तुलसीपुर बलरामपुर

श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर श्री कुंवर प्रभात सिंह के पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक तुलसीपुर के नेतृत्व में:-

प्रदेश स्तरीय माफिया अपराधी रिजवान जहीर के विरूद्ध NSA के तहत की गई कार्यवाही ।

श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश दिनांक 28.05.2022 के द्वारा प्रदेश स्तरीय माफिया अपराधी रिजवान जहीर पुत्र जहीरूल्हक नि0- शीतलापुर कस्बा तुलसीपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के विरूद्ध लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत कार्यवाही की गयी तथा पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रिजवान जहीर को NSA की एक प्रति तामिल करायी गयी । माफिया रिजवान जहीर काफी दिनों से जेल से छुटने का प्रयास कर रहा था जिसके भय से कस्बा तुलसीपुर तथा आस पास के गांव में लोक शांति व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गयी थी ।

मीडिया सेल

कार्यालय पुलिस अधीक्षक

बलरामपुर